

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 588 सन 2020

अनवान :-

1. गोरीशंकर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. रवि पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. कृष्णादेवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
4. भागीरथ पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
5. महेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
6. कलावती पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
7. सन्तोष पुत्री जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
8. जगदीश प्रसाद पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
9. रतना पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
10. कविता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
11. पुष्पा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
12. मोनिका पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
13. विधा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 307/290 की कुल 24.0290 है व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 156/142 की कुल 16.3820 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 4, 8 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 4, 8 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 6 ता 7, 9 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1, 4, 8 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी संख्या 1 की बहन प्रतिवादी संख्या 6, 7 वादी संख्या 2 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 प्रतिवादी संख्या 3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 8 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3, 6, 7, 9 ता 13 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपजुड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5, 8 यहिच के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चन्दुराम वल्द श्रीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ,6 ,9 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 ,4 ,5 ,8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 307/290 की कुल 24.0290हैक व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 156/142 की कुल 16.3820हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,4 ,8 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,6 ता 7 ,9 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी संख्या 1 की बहन प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी संख्या 2 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 प्रतिवादी संख्या 3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ,6 ,7 ,9 ता 13 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 ,4 ,5 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

अधिवक्ता  
बोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 307/290 की कुल 24.0290 है व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 156/142 की कुल 16.3820 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,4,8 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि चन्दुराम वल्द श्रीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा चन्दुराम वल्द श्रीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 9 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 6, 7, 9 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 9 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 307/290 की कुल 24.0290 है व भूमि में वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 बहिव 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 5 बहिव 1/8 हिस्सा वादी संख्या 3 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 156/142 की कुल 16.3820 है व भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4, 8 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 01/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गोरीशंकर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. रवि पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

वादी

बनाम

- 1 मनीराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
- 2 बंशीलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
- 3 कृष्णादेवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 4 भागीरथ पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 5 महेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 6 कलावती पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 7 सन्तोष पुत्री जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 8 जगदीश प्रसाद पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 9 रतना पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 10 कविता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 11 पुष्पा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 12 मोनिका पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 13 विधा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
- 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 588 सन 2020 निर्णय दिनांक-01/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 307/290 की कुल 24.0290 हैक् भूमि में वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 5 बहिब 1/8 हिस्सा वादी संख्या 3 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 156/142 की कुल 16.3820 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4, 8 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )